

बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड  
महेश भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना।

कार्यालय आदेश

संचिका संख्या-590-01-170/2016 पार्ट-2

कार्यालय आदेश ज्ञापांक प्र0/358 दिनांक-11.09.2017 को श्री उदय कुमार, पिता-श्री बिहारी प्रसाद, महल्ला-सरिसताबाद, पूर्वी टोला गर्दनीबाग, पटना-2 द्वारा लोहे का लॉकर, फोटो स्टेट मशीन, एवं अन्य लकड़ी एवं लोहे का सामग्री का निलामी में अधिकतम दर 2,88,200/- (दो लाख अठारसी हजार दो सौ) रुपये मात्र का रहने का कारण उक्त राशि को चेक द्वारा जमा कर उक्त सामग्रियों को ले जाने का आदेश दिया गया था, लेकिन उन्होंने सामग्री ले जाने से इनकार किया एवं इनकार के संबंध में लिखित भी दिया गया। सामानों को नहीं ले जाने के कारण बोर्ड के पुराने भवनों को तोड़कर नया भवन बनाया जाने के कार्य में बाधा पहुँचाया एवं बोर्ड की वित्तीय क्षति हुई इसलिए श्री उदय कुमार को काली सूची में डाला जाता है तथा भविष्य में किसी निविदा में भाग लेने के अयोग्य होंगे। इसे बोर्ड के वेबसाइट पर डाल दिया गया है।

६०

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक- 50/405

पटना, दिनांक- 26/09/2017

प्रतिलिपि :- श्री उदय कुमार, पिता-श्री बिहारी प्रसाद, महल्ला-सरिसताबाद, पूर्वी टोला, गर्दनीबाग, पटना-02/प्रशाखा पदाधिकारी (प्र0)/सहायक लेखा पदाधिकारी (प्र0)/रोकड़पाल/दिलीप कुमार, रात्रि प्रहरी/निर्गत प्रभारी गार्ड एवं निजी संचिका, खादी बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यकतार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

25/9/17